कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोटा आगार

क्रमांक :–मु.प्र./लेखा/कोटा/2025/ 1349 दिनांक :– 20/3/25

कार्यालय आदेश

मुख्यालय जयपुर के आदेश कमांक एफ–4/मु0/वित्त/संस्था/2023/75 दिनांक 29.03.2023 द्वारा निगम में इकाई स्तर पर कार्यरत वित्त अधिकारियों को राजस्व सम्बधी कार्य एंव जोन स्तर पर पदस्थापित वित्त अधिकारियों को जोन के अधीन सम्पूर्ण इकाईयों के भुगतान कार्य सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त व्यवस्था को दिनांक 01.04.2025 से समाप्त किया जाता है। भुगतान एंव राजस्व सग्रहण के सम्बध मे दिनांक 01.04.2025 से पूर्णतः वही व्यवस्था लागू रहेगी जो दिनांक 01.04.2023 से पूर्व निगम मे लागू थी।

जोन स्तर पर पदस्थापित मुख्य प्रबन्धक एंव प्रबन्धक वित्त दिनांक 31.03.2025 तक आगार से प्राप्त होने वाले भुगतान सम्बधी देयको के भुगतान को सम्पादित कर सम्बधित आगार के सभी प्रकार के देयको /FVC/रिकार्ड को आगार प्रबन्धक वित्त का प्रेषित करने तक वर्तवान व्यवस्था के अधीन कार्य करेगें।

श्रीमान वित्तीय सलाहकार महोदय के मुख्यालय के आदेश कमाकं मु/वित्त/संस्था/2025/1378 दिनांक 19.03.2025 के द्वारा मशीन विद मेन की व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है। अतः कोटा आगार के द्वारा दिनांक 19.03.2025 को जारी की गयी निविदा उक्त आदेशों की पालना में निरस्त की जाती है।

मुख्य प्रबन्धक
कोटा आगार।